

21 $\frac{3}{22}$

डोपीलार के अधिवक्ता अनुपालिका

रेस्पा. के अधिवक्ता अनुपालिका।

प्राथमिक समग्र न अलग-दिलग

तीन बार अधिवक्तापत्र उभय

पक्षकारान को उपालिका होकर पूरक

हेतु डीवाज लगाई गई। डोपीलार

क उनके अधिवक्ता एवं रेस्पा. मात्र

वेद्यिका बावजूद जानकारी देरी
न्यायालय में अनुपलब्ध रहे हैं,
जिहजा टोपीलांतल की यह डीपील
डेटम पैरवी एवं डेटम हाजरी में
खारीज की जाती हैं। पनावली
निर्णय शुमार होकर नम्बर दो
कम हैं एवं डाबिल दफ्तर हैं।

for
जिला कलक्टर
राडमेर